

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर, फोन नं. 0291-2430440, 263657

Web Site www.techedu.rajasthan.gov.in ई मेल bter.jodhpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 4(152S) प्राशिम/पाविप्र/2020-21/ 2892

दिनांक

23 JUL 2021

प्रधानाचार्य,

समस्त सम्बद्धता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
द्वारा ई-मेल।

विषय :- विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित/क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश
बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये
जाते हैं :-

1. पॉलिटेक्निक के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, एवं द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विगत वर्ष की
भांति Performance Based Formula (प्रति संलग्न परिशिष्ट-1) के तहत क्रमोन्नत किया जावे।
2. तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा की अवधि 03 घण्टे के स्थान पर प्रति पेपर 1.5 घण्टे रखें
जावे एवं प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों को आनुपातिक रूप से संशोधित किया जाये।
3. परीक्षा केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना गृह विभाग द्वारा समय-समय पर जारी
दिशा निर्देशानुसार सुनिश्चित की जावे।
4. उपर्युक्त दिशा निर्देश नियमित, स्वयंपाठी तथा पूर्व छात्र (Ex Students) वर्गों के विद्यार्थियों
पर लागू होंगे।

यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त प्रक्रिया से प्राप्त परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट रहता है तो
परिस्थितियां अनुकूल होने पर ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्पेशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।



(अंशु कुमार सहगल)

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

दिनांक:

क्रमांक एफ4(152S)प्राशिम/पाविप्र/2020-21/

प्रतिलिपि:- निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, ई-2, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक (सामान्य), प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
6. विभागाध्यक्ष, (गोपनीय) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर।
7. प्रभारी- परीक्षा शाखा/गोपनीय शाखा/कम्प्यूटर शाखा/सामान्य शाखा/पुस्तकालय प्राशिम., जोधपुर।

(अंशु कुमार सहगल)

संयुक्त निदेशक एवं सचिव



क्रमांक: २२७५

दिनांक: 16-06-21

संयुक्त शासन सचिव,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

महोदय,

दिनांक 15.06.2021 को माननीय मंत्री महोदय तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर की सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के कार्यक्रम की क्रियान्वृत्ति से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार :-

1. कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर इस वर्ष पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में होने वाली प्रथम, द्वितीय वर्ष परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई जायेगी।
2. विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाने हेतु अंकों का निर्धारण तय किये गये निर्धारित फॉर्मूले से किया जायेगा।

अंकों के निर्धारण हेतु तय किया गया फॉर्मूला निम्नानुसार है :-

किसी भी वर्ष की परीक्षा में समग्र अंकों में मुख्य रूप से दो घटकों का योगदान होता है।

सेशनल अंक एवं बोर्ड परीक्षा अंक।

Total Marks = Sessional Marks + Board's Exam Marks

समग्र अंक = सेशनल अंक + बोर्ड स्तर परीक्षा अंक

सेशनल अंकों की गणना हेतु विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्तकों को पूर्ण रूप से अंकों की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

बोर्ड स्तर परीक्षा अंकों की गणना निम्न सूत्र अनुसार की जायेगी :-

द्वितीय वर्ष (नियमित एवं बाह्य) विद्यार्थी

विद्यार्थियों के बोर्ड स्तर परीक्षा के अंकों की गणना हेतु सूत्र:

$$A = \frac{X}{Y} Z$$

X= प्रथम वर्ष के प्राप्तांक + द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक

Y= प्रथम वर्ष के अधिकतम अंक + द्वितीय वर्ष के अधिकतम अंक

Z= द्वितीय वर्ष के बोर्ड स्तर परीक्षा के अधिकतम अंक

प्रथम वर्ष (बाह्य) विद्यार्थी

विद्यार्थियों के बोर्ड स्तर परीक्षा के अंकों की गणना हेतु सूत्र:

$$A = \frac{X}{Y} \cdot Z$$

X= प्रथम वर्ष के प्राप्तांक

Y= प्रथम वर्ष के अधिकतम अंक

Z= प्रथम वर्ष के बोर्ड स्तर परीक्षा के अधिकतम अंक

द्वितीय वर्ष पार्श्व प्रवेशित (नियमित एवं बाह्य) विद्यार्थी

विद्यार्थियों के बोर्ड स्तर परीक्षा के अंकों की गणना हेतु सूत्र:

$$A = \frac{X}{Y} \cdot Z$$

X= द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक

Y= द्वितीय वर्ष के अधिकतम अंक

Z= द्वितीय वर्ष के बोर्ड स्तर परीक्षा के अधिकतम अंक

✓ प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर (नियमित) विद्यार्थी

विद्यार्थियों के बोर्ड स्तर परीक्षा के अंकों की गणना हेतु सूत्र:

$$A = \frac{X}{Y} \cdot Z$$

X= प्रथम सेमेस्टर वर्ष के प्राप्तांक + द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक

Y= प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम अंक + द्वितीय सेमेस्टर के अधिकतम अंक

Z= द्वितीय सेमेस्टर के बोर्ड स्तर परीक्षा के अधिकतम अंक

बोर्ड स्तर परीक्षा हेतु उक्तानुसार गणना किये गए इन अंकों को संबंधित विषयों के लिए निर्धारित किए गए अंकों को अनुपातिक* रूप से कर, अंक तालिका में अंकित किया जायेगा।

$$* \frac{A}{Z} \text{ अनुपातिक गुणांक}$$

$$* \frac{A}{Z} \text{ (अनुपातिक गुणांक) } \times \text{संबंधित विषय (थ्योरी/प्रेक्टिकल) के अधिकतम अंक} = \text{उस विषय के प्राप्तांक}$$

अंतिम वर्ष में प्रोजेक्ट एवं प्रेक्टिकल ट्रेनिंग में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित प्राप्तांकों को पूर्ण रूप से अंकों की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

वर्तमान प्रोजेक्ट एवं प्राजेक्ट परीक्षा ई-मॉड में करवाई जायेगी।

मर्सी अवसर प्राप्त विद्यार्थियों हेतु भी उक्तानुसार अंक गणना मान्य होगी।

अंकों की गणना करने के यह प्रावधान Covid-19 की विषम परिस्थितियों में कारण मात्र सत्र 2020-21 की परीक्षा पर ही लागू होंगे।

विद्यार्थी यदि उक्तानुसार अंक गणना से सन्तुष्ट नहीं है तो उन्हें अंकों में सुधार का अवसर दिया जायेगा। इस हेतु सत्र 2020-21 की विशेष (special) परीक्षा जब भी स्थितियां सामान्य होंगी, आयोजित करवा दी जावेगी, जिसमें विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे। इस परीक्षा में सम्मिलित होने पर इस परीक्षा में प्राप्त अंक ही अंतिम होंगे। पूर्व में की गई गणना मान्य नहीं होगी।

(अशु कुमार सहगल)
संयुक्त निदेशक एवं सचिव

राजस्थान-सरकार
कार्यालय:- राजेश पायलट राजकीय पोलिटेक्निक ग्रहा. दीसा
कार्यक्र:- शैक्षणिक परीक्षा 20-21 | 2700 दि. 24-07-21

विद्यार्थियों को CS/EL/ME/CE/EE/NT को
ग्रेजुएट निकटवर्ती किया जाता है कि उपरोक्तानुसार
कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रतिक्रिया:- जे.एस. बोर्ड
पुत्रादी वेबसाइट


प्रधानाचार्य
राजेश पायलट राजकीय पोलिटेक्निक
नहाविद्यालय दीसा